

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित।
अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री अशोकसिंह राणा।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी नारायणसिंह जारी जमा0 वारंट के पालन में उप0। उसकी
फरियादी श्री सुबोध श्रीवास्तव ने मेमो पेश किया।

ओर से अधिवक्ता श्री सुबोध श्रीवास्तव ने मेमो पेश किया।
उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में
रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण
रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत Afcons
Infrastructure Limited Vs Cheriyan Varkey Construction
Company private Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के
अनुसार मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित
मध्यस्थ सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जेएमएफसी गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के
हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष आज
दिनांक 21.11.16 को 3 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को
निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी
हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

प्रकरण आगामी दिनांक 13.12.16 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन
की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(ARK Gupta) प्रथम श्रेणी

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

राज्य द्वारा ए डी पी ओ अनुपस्थित।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री अशोकसिंह राणा उपस्थित।

फरियादी नारायण सहित अधिवक्ता श्री सुबोध श्रीवास्तव।

प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित, प्रस्तुत।

फरियादी नारायण की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320
द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र
अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया।
फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री सुबोध श्रीवास्तव एवं अभियुक्त की पहचान उनके
अधिवक्ता श्री अशोकसिंह राणा द्वारा की गई।

Order Sheet [Contd]

Case No. 750

39 of

Signature
Part
Pleaded
nec

Date of
Order or
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं।

अभियुक्त पर भा0द0वि0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-दो के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है अभियुक्त को धारा 294, 323 एवं 506 भाग दो भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है। आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt. Bhind (M.P.)